

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 62/2020 (75 एलआरए)

बंशी बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00103)

बंशी पुत्र भंवरलाल जाति लोढा निवासी गांव मजरा बंजारी तहसील अकलेरा जिला  
झालावाड

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा

दिनांक 03.11.20 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3595/2020

उपस्थित :

- 1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कुलेन्द्र नागर  
निर्णय

दिनांक 26.03.2021

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3595/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 3595/2020 पटवारी हल्का मोईकला की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए बयान पटवारी लिये गये बयान पटवारी के अनुसार अतिक्रमी श्री बंशी पुत्र भंवरलाल जाति लोढा निवासी गांव मजरा बंजारी तहसील अकलेरा ने ग्राम डूगरगांव की आराजी ख0न0 110 किस्म चारागाह की 2.00 बीघा पर सम्वंत 2077 में नाजायज कब्जा कर फसल मक्का काशत कर रास्ता रोका है, अतिक्रमी का इससे पूर्व सम्वंत 2076 में भी नाजायज कब्जा था जिस पर से अतिक्रमी को बेदखल किया गया था अतिक्रमी द्वारा पुनः नाजायज कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते

हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुना अर्थात् 50/- रुपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के अपराध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 माह (60 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी भालता को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है।

- 3 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।
- 4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता कुलेन्द्र नागर ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, आराजी भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर कोई काश्त नहीं की है—फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में सम्पूर्ण जुर्माना राशि जमा करा दी है। अब भविष्य में उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 19.11.20 को उस समय हुआ जब उसकी गैर मौजूदगी में पुलिस थाना भालता का सिपाही गिरफ्तारी वारन्ट की तामील हेतु आया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से तुरन्त दिनांक 23.11.2020 को निर्णय की नकल प्राप्त की आदेश के सर्वप्रथम ज्ञान से अपील अवधि मध्य मानी जावे। अतः अपील अपीलान्ट अवधि मध्य स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.20 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
- 5 वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 6 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिखा गया है उसमें अंकित किया गया है कि अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील मानकर संलग्न पत्रावली किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए अपीलान्ट के अधिवक्ता यह तर्क मानने योग्य नहीं है।  
अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दूसरा तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को पश्चातवर्ती

अतिक्रमी माना जाकर भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर फसल बोई थी, जिस पर से उसे बेदखल कर जुर्माने की कार्यवाही की गई थी, अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वंत 2077 में अतिक्रमण कर फसल मक्का काशत कर रास्ता रोका गया है। इसलिये वकील अपीलान्ट का दूसरा तर्क भी मानने योग्य नहीं है।

- 7 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि नोटिस की प्रोपर तामील नहीं कराई गई—इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो तामील मानी है, उसको तामील नहीं मानने के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तामील को मुख्य आधार माना जाना तर्क संगत नहीं है, यह मात्र तकनीकी/प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी जा सकती हैं। अपीलान्ट उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना भी बता रहा है एवं दूसरी ओर जुर्माना राशि भी जमा करा रहा है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का के शपथपूर्वक तहसीलदार के समक्ष दिनांक 03.11.20 को दिये गये बयान से होता है जो बाद प्रमाणित पत्रावली के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2076 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये हैं, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नहीं हैं, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.20 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

- 8 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

- 9 निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़